



फाइल सं.7/1/एनसीएसटी/2009-प्रशा.

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के तहत एक संवैधानिक निकाय)

'बी' विंग लोकनायक भवन,
खान मार्किट नई दिल्ली -110003
दिनांक : 02.02.2023

कार्यालय आदेश

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (मुख्यालय), नई दिल्ली में कार्यरत निम्नलिखित अधिकारी को दिनांक 01.01.2023 से वार्षिक वेतनवृद्धि प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति एतद्वारा सूचित की जाती है।

क्र. सं.	नाम	पदनाम	7वें सीपीसी के तहत वेतन मैट्रिक्स स्तर	वार्षिक वेतन वृद्धि के आहरण से पहले का वेतन (रूपए में)	दिनांक 01.01.2023 से 3% का वार्षिक वेतन वृद्धि के आहरण के बाद का वेतन। जैसा कि सातवें वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स टेबल में लागू स्तर के वार्षिक सेल में विनिर्दिष्ट है
1.	श्रीमती मोनिका तिग्गा	निजी सचिव	स्तर-8	55,200/-	56,900/-

2. उपर्युक्त वेतन निर्धारण लेखापरीक्षा अवलोकन के अधीन है, यदि कोई हो।

(Handwritten Signature)

(राजेश कुमार वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष सं.: 011-24657271

प्रतिलिपि:

1. वेतन एवं लेखा अधिकारी, जनजातीय कार्य मंत्रालय, जीवन तारा भवन, पटेल चौक, नई दिल्ली।
2. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी।
3. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी की वैयक्तिक फाइल/सेवा पुस्तिका।
4. आहरण एवं संवितरण अधिकारी/रोकडिया को दो अतिरिक्त प्रति सहित।
5. कार्यालय आदेश फाइल।
6. एनआईसी को आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।